बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

कार्यालय आदेश

सं0सं09/आ0–2–19/2010 /स्वा0/पटना,दिनांक / डा0 रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत उपाधीक्षक सदर अस्पताल, नवादा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 1532/गो0 दिनांक 10.5.2010 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा डा0 सिंह द्वारा समर्पित साक्ष्यों के आलोक में की गई और समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि भालू द्वारा घायल किए गए मरीजो की चिकित्सा एवं देख भाल में डा0 सिंह की सक्रिय सहभागिता थी। यह भी पाया गया कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–3712/2010 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–3712/2010 में दिनांक 08.03.10 को पारित माननीय उच्च न्यायालय पटना, के आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–144(3) दिनांक 24.02.2010 तथा अधिसूचना सं0–143(3) दिनांक 24.02.2010 को स्थगित कर दिया गया था जिसके फलस्वरूप डा0 सिंह द्वारा सिविल सर्जन, नवादा (डा0 सुधीर महतो) के आदेश का उल्लंघन किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है। वर्णित परिस्थिति में डा0 सिंह को प्रतिवेदित आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(साँवर भारती)
प्रशासी पदाधिकारी
स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक: 1288(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 6-12-2012

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन, नवादा/कोषागार पदाधिकारी नवादा/डॉ0 रत्नेश्वर प्रसाद सेवा निवृत उपाधिक्षक सदर अस्पताल नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी नवादा, को उनके पत्रांक 2525 दिनांक 9.8.12 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,9,10,11,12 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रशासी पदाधिकारी
स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।